

फॉर्म अहकाम

( नियम 26 )

पदावली	मुकाम
	बनाय
मुकदमा	पं. _____ वर्ष

रीक म	हुम या कामवादी भय इतिभियस्त अज	नम्बर व जारीक अहकाम को इस हुम की तामीक में जारी हु
----------	--------------------------------	---


21  $\frac{4}{22}$

पत्रावली पेश हुई समय पक्ष उपस्थित पिटासीन  
अधिकारी का स्थानान्तरण/दौर अवकाश में पधारें  
हैं/अन्य राजकार्य में व्यस्त है/अतः अवकाश  
पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 05/7/20 को पेश हो।

आज्ञा से  
रीडर


05  $\frac{7}{22}$

पत्रावली पेश हुई समय पक्ष उपस्थित पिटासीन  
अधिकारी का स्थानान्तरण/दौर अवकाश में पधारें  
हैं/अन्य राजकार्य में व्यस्त है/अतः अवकाश  
पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 05/5/20 को पेश हो।

  
आज्ञा से  
रीडर

115/2

पत्रावली पेश हुई समय पक्ष उपस्थित पिटासीन  
अधिकारी का स्थानान्तरण/दौर अवकाश में पधारें  
/अन्य राजकीय में व्यस्त है/अतः अवकाश  
पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 05/13 को पेश हो।


  
आज्ञा से  
रीडर

13  $\frac{7}{23}$

पत्रावली पेश हुई। वकील यहाँ उपर  
विपरीत की विधिगत तामिक के 01/9/20  
को उपर की। अतः एह पत्रावली कामवादी  
भयल के लानी जाती है पत्रावली के  
वकील यहाँ की कल सुनी गयी

शारीर  
दुःख

दुःख या कार्यवाही मय इतिशियल्स जज

पशावली सूचीका की फाली ह्य  
निर्णय पृथक से लिखागत गता  
पशावली फंसल गुणा कृपा  
-11-05 से कत को  


# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला शाहपुरा

पीठासीन अधिकारी नेहा छीपा आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर - 119/2020 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1- देबी पिता हजारी गुजर निवासी मूशी तहसील बनेड़ा

-प्रार्थी

बनाम

- 1- रघुवीर पिता घीसु गुजर निवासी मूशी तहसील बनेड़ा
- 2- गोपाल पिता बन्ना गुजर निवासी मूशी तहसील बनेड़ा
- 3- सोहन पिता हजारी गुजर निवासी मूशी तहसील बनेड़ा
- 4- तहसीलदार बनेड़ा।
- 5- आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा रायला।

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता प्रार्थी:- कृष्ण कुमार जीनगर

निर्णय

दिनांक :- 13/09/2023

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मुशी पटवार हल्का मुशी भूअ.निरीक्षक क्षेत्र उपरेड़ा तहसील बनेड़ा में स्थित खाता सं. 193 के आराजी नम्बर 331/1, 336/3, 938 कुल किता 3 रकबा 1.1635 है० भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।


प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 ग्राम मुशी पटवार हल्का मुशी भूअ.निरीक्षक क्षेत्र उपरेड़ा तहसील बनेड़ा में स्थित खाता सं. 193 के आराजी नम्बर 331/1, 336/3, 938 कुल किता 3 रकबा 1.1635 है० भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होकर है। प्रार्थी अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

// आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा-111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम गुशी पटवार हल्का गुशी भूअ.निरीक्षक क्षेत्र उपरेड़ा तहसील बनेड़ा में स्थित खाता सं. 193 के आराजी नम्बर 331/1, 336/3, 938 कुल किता 3 रकबा 1.1635 है 0 भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक उपरेड़ा को 500/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर उभयपक्षकारान को विधिवत नोटिसा तामिल करा उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावे। पत्थरगढी से पूर्व उभयपक्षकारान की लिखित सहमति प्राप्त ली जावे। लिखित सहमति पश्चात उनकी उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न जावे अन्यथा नहीं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावे। अतः भू0अ0निरीक्षक उपरेड़ा जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बनेड़ा को पालना हेतु लिखा जावे। आदेश की पालना अपील अवधि समाप्ति पश्चात ही की जावे। अपील अवधि के भीतर आदेश की पालना नहीं की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13-09-2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कोर्ट मुख्यालय पर

सुनाया गया।

  
(नेहिका चौपा)  
उपखण्ड अधिकारी  
बनेड़ा जिला शाहपुरा